

आज से ACP सुनेंगे लोगों की शिकायतें

पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर जन सुनवाई

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली के सभी जिलों में शनिवार को जन सुनवाई कैम्प आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें सभी सब-डिविजनों के एसीपी अपने अंडर में आने वाले थाना क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निवारण करने के लिए उचित कदम उठाएंगे।

शुक्रवार को सभी जिलों के डीसीपी ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के साथ यह जानकारी शेयर की। इसमें बताया गया कि शनिवार को शाम 4-6 बजे तक सभी सब-डिविजनों के एसीपी अपने दफ्तर में या किसी थाने में जन सुनवाई करेंगे। गांधी नगर सब-डिविजन के एसीपी गीता कॉलोनी थाने में ही अपने अंडर में आने वाले तीनों थाना क्षेत्रों गीता कॉलोनी, गांधी नगर और कृष्णा नगर के लोगों की शिकायतें सुनेंगे।

शाहदरा सब-डिविजन के एसीपी शाहदरा थाने में ही अपने अंडर में आने वाले दो थानों शाहदरा और फर्श बाजार के लोगों की सुनवाई करेंगे। इसमें अधिक से अधिक लोग शामिल हों, इसके लिए सभी स्थानीय आरडब्लूए, मार्केट असोसिएशंस, एनजीओ, अमन कमिटी मेंबर्स, सोशल मीडिया वॉलेंटियर्स समेत दूसरे लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे कार्यक्रम का प्रचार करें।

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर शुरू किए जा रहे जन सुनवाई के कार्यक्रमों के दौरान कितनी शिकायतें आईं, उनमें से कितनी शिकायतों का निपटारा तुरंत किया, कितनों के लिए

उठाएंगे उचित कदम

- शनिवार को शाम 4-6 बजे तक सभी सब-डिविजनों में होगी जन सुनवाई
- कुछ जिलों में 3 से 6 बजे तक सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया है



टाइमलाइन दी गई और आगे उन पर क्या एक्शन लिया जा रहा है। इसका पूरा रिकॉर्ड मेटेन किया जाएगा और जिले के डीसीपी को इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। कुछ जिलों में 3 से 6 बजे तक सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, कमिश्नर ने निर्देश दिया है कि हर हफ्ते या दो हफ्ते में एक बार जन सुनवाई में लोगों की शिकायतें सुनी जाएं। हालांकि, जन सुनवाई की पहल नहीं है। इससे पहले भी कई कमिश्नर इस तरह के कार्यक्रमों पर जोर दे चुके हैं। मगर, यह बहुत दिनों तक नहीं चल पाता।